2010:CGHC11426-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री टी पी शर्मा एवं
माननीय न्यायमूर्ति श्री आर एल झाँवर

दा०अ० क्र०. 912/2003

मोहित और अन्य
बनाम
छत्तीसगढ़ राज्य

दा०अ० क्र०. 973/2003

मंगलू उरांव
बनाम
छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दा०अ० क्र०. 825/2004

विजय उर्फ़ बीजे उरांव और अन्य
बनाम
छत्तीसगढ़ राज्य

विचारार्थ निर्णय

सही/-
टी पी शर्मा
न्यायमूर्ति

माननीय न्यायमूर्ति आर एल झाँवर

सही/-
आर एल झाँवर
न्यायमूर्ति
26.04.2010

निर्णय उद्घोषित किये जाने हेतु दिनांक 26 अप्रैल 2010 को सूचीबद्ध करे|

सही/-
न्यायधीश
26.04.2010

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री टी पी शर्मा एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर एल झाँवर

दा०अ० क्र०. 912/2003

अपीलकर्ता (जेल में)	1. **मोहित, पिता समारू उरांव, उम्र 33 वर्ष** 2. **जनक पिता हरी उरांव, उम्र 23 वर्ष** 3. **हरी उरांव, पिता धनीराम उम्र 35 वर्ष** 4. **बुन्दकुवर, उम्र 50 वर्ष, पिता इतवार सिंह उरांव** **सभी निवासी: ग्राम तरपाली, थाना चक्राधार नगर, तहसील ओर जिला रायगढ़, (छत्तीसगढ़)**
प्रत्यर्थी:	**छत्तीसगढ़ राज्य, के द्वारा थाना चक्राधार नगर, तहसील ओर जिला रायगढ़, (छत्तीसगढ़)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दा०अ० क्र०. 973/2003

अपीलकर्ता (जेल में)	**मंगलू उरांव, पिता तेजू उरांव, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम तरपाली, थाना चक्रधार नगर, तहसील ओर जिला रायगढ़, (छत्तीसगढ़)**
प्रत्यार्थी:	**छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना चक्रधर नगर,**

	तहसील ओर जिला रायगढ़, (छत्तीसगढ़)

<u>दा०अ० क्र०. 825/2004</u>

अपीलकर्ता (जेल में)	1. **विजय उर्फ़ बीजे उरांव, उम्र 33 वर्ष,पिता समारू उरांव** 2. **पुछू मकरध्वज, उम्र 45 वर्ष, पिता मनबोध महर** **सभी निवासी: ग्राम तरपाली, थाना चक्रधर नगर, तहसील ओर जिला रायगढ़, (छत्तीसगढ़)**
प्रत्यार्थी:	**छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना चक्रधर नगर, तहसील ओर जिला रायगढ़, (छत्तीसगढ़)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दाण्डिक अपीलें

उपस्थित :

श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं की ओर से, दाण्डिक अपील क्रमांक 912/2003 और 825/2004 में।

श्री रूप नायक, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से दाण्डिक अपील क्रमांक 973/2003 में।

श्री संदीप यादव, उप शाश्कीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यार्थी की ओर से।

<u>निर्णय</u>

(26 अप्रैल, 2010)

निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायमूर्ति टी. पी. शर्मा द्वारा पारित किया:

1. चूँकि उपर्युक्त तीनों दाण्डिक अपीलें एक ही दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश दिनांक 19-7-2003 से उत्पन्न हुई हैं, जिसे चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायलय), रायगढ़ ने सत्र प्रकरण क्रमांक 26/2003 में पारित किया था, अतः इन सभी अपीलों का निराकरण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. इन तीनों दाण्डिक अपीलों में चुनौती दोषसिद्धि के निर्णय और 19-7-2003 को पारित दंडादेश के विरुद्ध है, जो चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 26/2003 में पारित गया था।

   जिसमें माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को विधिविरुद्ध जमाव के गठन का दोषसिद्ध किया गया, जो घातक हथियारों से सुसज्जित थे और जिनका सामान्य अपराधिक मानववध हत्या करना था, जिसके परिणामस्वरूप दिक्रीलाल की हत्या हुई।

   इस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा सामान्य उद्देश्य के भागात्जरण में अपराधिक मानवध जो हत्या नहीं है करीत करने के लिए अपिलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 और धारा 147/148 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹100 का जुर्माना अधिरोपित किया तथा भुगतान न करने पर 15 दिन का कठोर कारावास तथा पृथक रूप से 2 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का आदेश पारित गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के, विचारण न्यायलय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराकर और सजा देकर अवैधानिक कार्य किया है।

4. अभियोजन का संक्षिप्त विवरण:

   अभियोजन का कहना है कि पूर्व से चली आ रही शत्रुता के कारण अभियुक्तगण एक स्थान पर इकट्ठा हुक और दिक्रीलाल की हत्या करने के सामान्य उद्देश्य से एक विधिविरुद्ध जमाव

का गठन किया| दिनांक 9-12-2002 की मध्यरात्रि लगभग 12 बजे, जब दिक्रीलाल (अब मृतक) पतेरापाली से लौट रहे थे, तब अपिलार्थियों ने उनका पीछा किया। दिक्रीलाल भागएर जयपाल (अ.सा..-1) के घर में घुस गया। इसके बाद अपिलार्थियों ने दिक्रीलाल को यह कहकर बाहर बुलाया कि वे समझौता करना चाहते हैं। जैसे ही दिक्रीलाल बाहर आया, अपीलकर्ताओं ने उन पर हमला कर पारित और गंभीर चोटें पहुँचाईं, जिनके परिणामस्वरूप दिक्रीलाल की मृत्यु हो गई। गंभीर चोट पहुँचाने के बाद, अभियुक्त विजय थाना गया और लिखित शिकायत (प्रदर्श पी 14) दर्ज कराया जिसमें उसने कहा कि दिक्रीलाल रात में उसके घर में घुस आया जब वह अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, और उसने दिक्रीलाल का पीछा कर कुल्हाड़ी से चोटें पहुँचाईं। पुलिस विजय के साथ गाँव पहुँची जहाँ दिक्रीलाल का घायल शरीर पड़ा हुआ था। वहाँ कोई और मौजूद नहीं था। पुलिस अधिकारी ने दिक्रीलाल का मृत्युकालिया कथन दर्ज किया जिसमें दिक्रीलाल ने बताया कि अभियुक्त विजय ने उसे चोटें पहुँचाईं जब वह रात में उसके घर में घुसा। दिनांक 9-12-2002 को दिक्रीलाल ने पहले ही शिकायत (प्रदर्श पी -13) दर्ज कराई थी कि अभियुक्तगण उसकी खोज में हैं और उसे जान से मार सकते हैं। दिक्रीलाल को चिकित्सीय परीक्षण और उपचार हेतु भेजा गया, किंतु डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर पारित (प्रदर्श.पी-10)। मर्ग (मृत्यु शिकायत) प्रदर्श पी -21 के तहत दर्ज की गई और प्रथम सुचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी -22 के तहत पंजीकृत हुई। गवाहों को बुलाने के बाद शव परीक्षण की प्रक्रिया प्रदर्श पी -2क के तहत की गई और शव का पंचनामा प्रदर्श पी -2 के तहत तैयार हुआ। शव को परीक्षण के लिये के.जी. अस्पताल, रायगढ़ भेजा गया। डॉ. अनिल कुमार कुशवाहा (अ. सा-14) ने प्रदर्श पी -16 के अनुसार शव का शव परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं —

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. 3.5 से.मी. × 1 से.मी. × 0.8 से.मी. का फटा हुआ घाव, जो खोपड़ी के पीछे के हिस्से और दोनों पार्श्वीय अस्थियों के संगम पर तिरछा स्थित था।

2. 4 से.मी. × 1.5 से.मी. का खरोंच का घाव, जो चेहरे के जबड़े के पास स्थित था।

5. पटवारी द्वारा घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी -3 के अनुसार तैयार किया गया। अभियुक्त विजय से खून आलूध पूर्ण पैंट एवं शर्ट. प्रदर्श पी -4 के अनुसार जब्त की गई। अभियुक्त हरी से एक कुल्हाड़ी प्रदर्श पी -5 के अनुसार जब्त की गई। अभियुक्त मोहित से एक लकड़ी की लाठी प्रदर्श पी -6 के अनुसार जब्त की गई। घटनास्थल से खून आलूध एवं सादी मिट्टी प्रदर्श पी -8 के अनुसार बरामद की गई। एक हीरो साइकिल घटनास्थल से प्रदर्श पी -9 के अंतर्गत जब्त की गई। जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल का नक्शा . प्रदर्श पी -23 के अनुसार तैयार किया गया। घटनास्थल से खून आलूध एक कुल्हाड़ी प्रदर्श पी -24 के अनुसार जब्त की गई। मृत्यु का कारण: चोटों से उत्पन्न रक्तस्राव के फलस्वरूप बेहोशी पाई गई|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. गवाहों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दर्ज किया गया अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत प्रतियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, रायगढ़ को प्रेषित कर दिया। तत्पश्चात, यह प्रकरण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को विचारण हेतु अंतरण पर प्राप्त हुआ।

7. अपीलकर्ताओं के अपराध को सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 16 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। पिलार्थियों का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किया किया गया, जिनमें उन्होंने अपने विरुद्ध आरोपों से इंकार करते हुए निर्दोष होने एवं झूठा फँसाए जाने का अभिवक किया।

8. दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने उपरांत, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को उपरोक्तनुसार दोषसिद्ध करते हुए दंडादेश पारित किया।

9. न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तर्के सुनीं तथा विचारण न्यायलय के निर्णय एवं अभिलेखों का अवलोकन किया।

10. अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने दृढ़ता से तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा साक्ष्य के दो समूह प्रस्तुत किया गया हैं — (1) अभियुक्त विजय द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित शिकायत (प्रदर्श पी 14), जिसके आधार पर मृतक का मृत्युकालिया कथन दर्ज किया गया। (2) प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों — जयपाल (अ. सा-1), मंगली बाई (अ. सा-2) एवं मुनु (अ. सा-3) — के कथन। प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के अनुसार, जब मृतक दिक्रीलाल पतेरापाली से लौट रहा था, अपिलार्थियों ने उसका पीछा किया और गंभीर चोटें पहुँचाईं। अतः जब स्वयं अभियोजन यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि अपिलार्थियों ने मृतक को किस प्रकार चोटें पहुँचाईं, उसकी मृत्यु कब, कैसे एवं किन कारणों से हुई — ऐसे में अभियोजन की दो भिन्न कहानियों के आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि यदि अभियोजन के दोनों साक्ष्य मान भी लिया जाएँ, तो चिकित्सीय साक्ष्य एवं चोटों के स्वरूप के आधार पर यह प्रकरण भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के दायरे से अधिक गंभीर नहीं ठहराया जा सकता। अपीलकर्ता दीर्घ अवधि तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं, अतः उनकी निरुद्धावधि पर्याप्त दंड मानी जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इसके विपरीत, राज्य की ओर से अधिवक्ता ने सभी दाण्डिक अपीलों का कटु विरोध किया और यह तर्क किया कि वर्तमान प्रकरण में सभी अपीलकर्ता, जो मृतक के साथ शत्रुता रखते थे, ने मृतक की निर्मम हत्या की है। परंतु, स्वयं को दंड से बचाने हेतु अभियुक्त विजय ने झूठी लिखित शिकायत पुलिस को दी तथा पुलिस की मिलीभगत से झूठा मृत्युकालिक कथन तैयार कराया। किन्तु जब सच्चाई प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों — जयपाल (अ. सा-1), मंगली बाई (अ. सा-2) एवं मुनु (अ. सा-3) — के साक्ष्य से उजागर हुई, तब वास्तविक प्रथम सूचना शिकायत दर्ज की गई और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अपिलार्थियों

के विरुद्ध अभियोजन प्रारंभ किया गया। न्यायालय ने पाया कि विचारण न्यायलय द्वारा अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध कर दंडित करने में कोई भी अवैधता या अनियमितता नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष ने दो विरोधाभास कथानकों के रूप में कोई पृथक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, अपितु उसने केवल एक ही सुसंगत साक्ष्य का संकलन किया है। वास्तव में, अपिलार्थियों ने प्रारंभ से ही एक पुलिस अधिकारी की मिलीभगत से नयी कहानी गढ़ने का प्रयास किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण द्वारा गंभीर दाण्डिक षड्यंत्र रचा गया था।

12. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख में प्रस्तुत समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है।

13. वर्तमान प्रकरण में यह निर्विप्रकरण तथ्य है कि मृतक दिक्रीलाल की मृत्यु घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई, जो कि मानववध प्रकृति का है। इस तथ्य का अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थन किया गया है तथा अपीलकर्ताओं की ओर से इसे मूलतः विवादित नहीं किया गया। डॉ. अनिल कुमार कुशवाहा (अ. सा-14) के साक्ष्य एवं प्रदर्श पी -16 (शवपरीक्षण शिकायत) द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया गया है कि दिक्रीलाल की मृत्यु मानववध प्रकृति की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अभियुक्तगण की अपराध में सहभागिता के संबंध में, प्रत्यक्षदर्शी जयपाल (अ. सा-1) के साक्ष्य के अनुसार — घटना के दिन सायं लगभग 8:30 बजे, जब यह साक्षी गाँव की ओर जा रहा था, उसने मृतक दिक्रीलाल को पतेरापाली की दिशा से आते हुए क्या देखा। पूछने पर दिक्रीलाल ने बताया कि वह गाँव पतेरापाली से आ रहा है। उसी समय अभियुक्तगण घटनास्थल पर उपस्थित थे और उनके पास कुल्हाड़ी, गेंती एवं भाला जैसे हथियार थे। अपिलार्थियों ने दिक्रीलाल का पीछा किया, जिस पर दिक्रीलाल अपनी साइकिल छोड़कर इस साक्षी (जयपाल अ. सा-1) के घर में शरण ले लिया। अभियुक्तगण ने इस साक्षी पर दबाव डालते हुक दिक्रीलाल को उसके घर से बाहर निकालने हेतु विवश किया। उन्होंने

साक्षी को धमकाया तथा उसके घर की चाबी माँगी और उसे, उसकी पत्नी एवं पुत्री को मुनु के घर में बंद कर पारित। इसके पश्चात अभियुक्तगण ने समझौते के बहाने दिक्रीलाल को घर से बाहर आने के लिए बाध्य किया। जैसे ही दिक्रीलाल घर से बाहर आया, अपिलार्थियों ने उस पर आक्रमण किया और उसे गंभीर चोटें पहुँचाईं। दिक्रीलाल ने अपिलार्थियों से विनती की कि वे उसे न मारें, तथापि अपिलार्थियों ने चोटें पहुँचाने के उपरांत उसे साथ लेकर चले गए।

15. मंगली बाई (अ. सा–2), जो मुनू (अ. सा–3) की पत्नी हैं, ने अपने न्यायलयीन साक्ष्य में यह किया है कि घटना वाले दिन जब वह अपने पति के साथ कोटवार के घर से वापस आ रही थीं, तब अपीलकर्ता उनके घर के आंगन में उपस्थित थे। उन्होंने यह भी कहा कि डिक्रीलाल जैपाल के घर में छिपा हुआ था तथा अपीलकर्ता उसे डराने-धमकाने के साथ यह कह रहे थे कि वे उसे प्रहार करेंगे। इसके उपरान्त, जैपाल के घर का ताला तोड़कर अपीलकर्ता डिक्रीलाल को बाहर सड़क पर घसीटकर लाए, उसके साथ मारपीट की तथा उसे तरई/तालाब की दिशा में फेंक पारित। मंगली बाई ने यह भी कथित किया है कि डिक्रीलाल की मृत्यु वहीं पर हो गई थी तथा अभियुक्तों ने ही स्वयं पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। मुनू (आ.सा–3) ने अपने कथन में जैपाल (अआ. सा–1) एवं मंगली बाई (अ. सा–2) के मुख्य तथ्यों की पर्याप्त रूप से पुष्टि की है। बचाव पक्ष द्वारा इन गवाहों का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया। प्रतिपरीक्षण में जैपाल (अआ. सा–1) ने स्वीकार किया कि घटना रात्रि लगभग 8:30 बजे की है। उसने कण्डिका 7 में यह भी स्वीकार किया कि उसका अपीलकर्ता हरि के साथ पूर्व से विप्रकरण विद्यमान था तथा उसने स्वयं डिक्रीलाल के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। मंगली बाई (अ. सा–2) ने कण्डिका 3 में यह स्वीकार किया कि पानी संबंधी विप्रकरण के कारण अपीलकर्ता और मृतक के मध्य शत्रुतापूर्ण संबंध थे। कण्डिका 4 में उसने यह भी स्वीकार किया कि अपराध ग्राम क्षेत्र में ही घटित हुआ था तथा कण्डिका 7 में यह स्वीकार किया कि डिक्रीलाल की मृत्यु अस्पताल में हुई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

थी। मुनू (अ. सा–3) ने अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 6 में यह स्वीकार किया कि जैपाल उसका बहनोई है तथा जब डिक्रीलाल जैपाल के घर में घुसा, तब वह स्वयं वहाँ मौजूद नहीं था।

16. बचाव पक्ष ने इन गवाहों से विस्तारपूर्वक प्रति परिक्षण कीया है। जैपाल (अ. सा-1) ने अपनी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना लगभग रात्रि 8:30 बजे हुई थी। अपनी प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 7 में उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसका अपीलकर्ता हरि के साथ विप्रकरण हुआ था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने दिचरिया के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। मंगली बाई (अ. सा-2) ने अपनी प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 3 में यह स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता एवं मृतक के मध्य पानी के विप्रकरण को लेकर शत्रुतापूर्ण संबंध थे। उसने अपनी प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 4 में यह स्वीकार किया है कि उक्त घटना गाँव में ही घटित हुई थी। उसने अपनी मुख्य परीक्षा के कण्डिका 7 में यह स्वीकार किया है कि दिचरिया की मृत्यु अस्पताल में हुई थी। मुन्नू (अ. सा-3) — जो मंगली बाई (अ. सा-2) का पति है — ने अपनी प्रति परिक्षण के कण्डिका 6 में यह स्वीकार किया है कि जैपाल उसका साला है और जब दिचरिया उसके घर में प्रवेश किया, उस समय जैपाल उपस्थित नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अन्य स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन के कथित प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। मंगल (अ. सा–10) ने अपने साक्ष्य में यह कहा कि घटना की तिथि को रात्रि लगभग 8 से 9 बजे के मध्य उसने झगड़े की आवाज़ सुनी थी तथा उस रात्रि पुलिस वाहन तीन बार उनके गाँव आया था। आरक्षक कृष्ण मुरारी (अ. सा–12) ने अपने कथन में कहा कि डिक्रीलाल घायल अवस्था में था तथा बोलने की स्थिति में नहीं था; उसकी वाणी स्पष्ट नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि वे उसे पुलिस थाना ले गया और तत्पश्चात अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि मृत्युकालीन घोषणा पत्र प्रदर्श.पी-1 पर उनके हस्ताक्षर हैं। आर.पी. तिवारी (अ. सा–16) ने अपने कथन में कहा कि दिनांक 09-12-2002 को वे

रात्रि गश्त ड्यूटी पर थे। अभियुक्त विजय ने उन्हें डिक्रीलाल का पीछा किया जाने संबंधी सूचना दी, जिस पर वे विजय व कार्तिक राम के साथ गाँव पहुँचे। उन्होंने आगे कहा कि रोज़नामचा प्रदर्श प्रदर्श पी -15 ए दर्ज करने के पश्चात वे रात्रि 2:20 बजे गाँव पहुँचे तथा मृतक डिक्रीलाल का मृत्युकालीन घोषणा पत्र (प्रदर्श पी -1) दर्ज किया। तत्पश्चात उन्होंने डिक्रीलाल को जिला अस्पताल रायगढ़ ले जाया, जहाँ उसकी मृत्यु हुई, और प्रातः 5:30 बजे मर्ग सूचना (प्रदर्श पी -21) दर्ज की गई।

18. आर.पी. तिवारी (अ. सा–16), जो अन्वेषण अधिकारी थे, उन्होंने ही मृतक का मृत्युकालीन घोषणा पत्र प्रदर्श पी -1 तैयार किया था। यद्यपि विचारण न्यायालय ने मृत्युकालीन घोषणा पत्र को अविश्वसनीय मानकर उस पर भरोसा नहीं किया, तथापि अभियोजन पक्ष द्वारा इस अभियोजन साक्षी को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया। उक्त मृत्युकालीन घोषणा पत्र का समर्थन स्वयं अभियुक्त विजय द्वारा लिखित शिकायत प्रदर्श पी/14 रात्रि 2:20 बजे दर्ज रोज़नामचा प्रदर्श पी -15 ए के द्वारा प्राप्त किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरक्षक कृष्ण मुरारी (अ. सा–12) की यह स्वीकृति कि घटना के समय डिक्रीलाल बोलने की स्थिति में नहीं था, यह दर्शाता है कि वह उस समय जीवित था। साथ ही मंगल (अ. सा–10) के अनुसार पुलिस वाहन गाँव में तीन बार आया था। जैपाल (अ. सा–1), मंगली बाई (अ. सा–2) एवं मुनू (अ. सा–3) ने अपने कथनों में यह कहा है कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से घटना देखी थी तथा अपीलकर्ताओं ने डिक्रीलाल पर प्रहार किया थे। पुलिस थाना गाँव से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार घटना रात्रि 8:30–9:00 बजे के मध्य हुई थी, तथापि प्रत्यक्षदर्शी अ. सा स्वयं पुलिस थाना नहीं गए। मृतक को पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पहुँचने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित किया। मृत शरीर गाँव में उपस्थित नहीं था, अपितु पुलिस द्वारा ही उसे ले जाया गया था। मंगल (अ. सा–10) के साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि पुलिस वाहन गाँव में तीन बार

आया था, तथापि कथित चश्मदीद गवाहों ने पुलिस के आने पर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, न ही ग्रामीणों को एकत्र किया और न ही कोटवार को घटना की सूचना दी। यहाँ तक कि उन्होंने मृतक को बचाने अथवा उसकी सहायता करने हेतु कोई प्रयास भी नहीं किया। इन गवाहों का यह आचरण स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता तथा आर.पी. तिवारी (अ. सा–16) के उस साक्ष्य को अस्वीकार करने हेतु पर्याप्त नहीं है, जिसका समर्थन रोज़नामचा प्रदर्श प्रदर्श पी -15 ए, मृत्युकालीन घोषणा पत्र प्रदर्श प्रदर्श पी -1 एवं अभियुक्त विजय द्वारा दी गई लिखित शिकायत प्रदर्श पी 14 द्वारा किया जाता है।

19. अभियुक्त विजय द्वारा पुलिस को दी गई लिखित सूचना प्रदर्श पी 14 के अस्वीकारोक्ति भाग से यह स्पष्ट होता है कि घटना की रात्रि लगभग मध्यरात्रि के समय मृतक डिक्रीलाल अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, जब वह आरोपी के घर में घुस गया आर.पी. तिवारी (अ. सा–16) द्वारा दर्ज मृत्युकालीन घोषणा पत्र प्रदर्श पी -1 में मृतक ने यह कहा है कि उसने शराब का सेवन किया था और विजय के घर में घुसने पर जनक, मंग्लू तथा पुच्छू मकरध्वज ने उसका पीछा किया तथा विजय ने उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया। मृत्युकालीन घोषणा पत्र प्रदर्श पी -1 तथा मर्ग सूचना प्रदर्श पी -21 के आधार पर ही अन्वेषण अधिकारी ने चारों उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना शिकायत प्रदर्श पी -22 दर्ज की। कथित प्रत्यक्षदर्शी जैपाल (अ. सा–1), मंगली बाई (अ. सा–2) तथा मुनू (अ. सा–3) — का घटना-पूर्व, घटना-कालीन तथा घटना-उपरान्त आचरण स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त, अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि अपीलकर्ताओं को पूर्व से यह निश्चित जानकारी थी कि डिक्रीलाल गाँव पटेरपाली गया है और रात्रि 8:30–9:00 बजे वापस आएगा, जिसके आधार पर वे अवैध जमाव बनाते गठित करते हुए एकत्र होकर उस पर हमला करते।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध करते समय विचारण न्यायालय ने कथित प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के आचरण पर विचार नहीं किया, जबकि उनका आचरण स्वभावतः संदेहास्पद है तथा

विश्वास उत्पन्न नहीं करता। विचारण न्यायालय ने उन गवाहों के कथनों पर भरोसा किया जिन्होंने मृत्युकालीन घोषणा पत्र का खंडन किया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने प्रदर्श पी 14 तथा प्रदर्श पी -15 ए रोज़नामचा पर आधारित मृत्युकालीन घोषणा पत्र को अस्वीकार कर विधिक त्रुटि किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा अन्वेषण अधिकारी आर.पी. तिवारी (अ. सा–16) को शत्रुतापूर्ण घोषित नहीं किया गया है, अपितु अभियोजन ने स्वयं उनके साक्ष्य पर निर्भरता दिखाई है। कथित प्रत्यक्षदर्शी अ. सा — जैपाल (अ. सा–1), मंगली बाई (अ. सा–2) तथा मुनू (अ. सा–3) — के संदिग्ध आचरण को देखते हुक उनके कथन विश्वसनीयता के मानदंड पर टिकते नहीं हैं; उनका साक्ष्य भरोसेमंद एवं सुरक्षित नहीं माना जा सकता।

21. अभियोजन के संपूर्ण साक्ष्य एवं अभिलेखीय दस्तावेज़ों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। मृतक डिक्रीलाल के मृत्युकालीन घोषणा पत्र प्रदर्श पी -1 के संबंध में आर.पी. तिवारी (अ. सा–16) का साक्ष्य, जिसकी पुष्टि अभियुक्त विजय द्वारा दर्ज शिकायत प्रदर्श पी तथा उनके द्वारा दर्ज रोज़नामचा प्रदर्श पी -15 ए से होती है, विश्वासप्रद प्रतीत होता है, यह शंकर्हित एवं समुदित है यह निष्कर्ष संगत एवं स्वीकारोपरांत हैं। निकलने के लिए कि जब डिक्रीलाल रात्रि लगभग 12 बजे विजय के घर में घुसा, तब अपीलकर्ता — विजय, जनक, मंग्लू तथा पुच्छू उर्फ मकरध्वज — ने उसका पीछा किया तथा उसके आत्मसमर्पण करने के पश्चात अभियुक्त विजय ने उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। विजय तत्पश्चात पुलिस स्टेशन गया और उसकी शिकायत प्रदर्श पी/14 के रूप में दर्ज की गई। उक्त शिकायत के आधार पर आर.पी. तिवारी (अ. सा–16) तुरंत घटनास्थल पहुँचे, जहाँ उन्होंने मृत्युकालीन घोषणा पत्र प्रदर्श पी -1 दर्ज किया तथा घायल डिक्रीलाल को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत उन्होंने मर्ग सूचना प्रदर्श पी -21 तथा उसके आधार पर प्राथमिकी प्रदर्श पी -22 दर्ज की। इन अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों से यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि केवल अपीलकर्ताओं —

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विजय, जनक, मंग्लू और पुच्छू उर्फ मकरध्वज ने प्रश्नगत अपराध में भाग लिया है तथा अपीलार्थी विजय ने दिक्रीलाल को चोटें पहुचाई|

22.निस्संदेह, जब डिक्रीलाल अपीलकर्ता विजय के घर में घुसा था, तब विजय को निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत उपयुक्त बल प्रयोग का अधिकार उपलब्ध था। तथापि वर्तमान प्रकरण में यह तथ्य सामने आता है कि विजय ने न तो अपने घर के भीतर और न ही घर के ठीक सामने कोई चोट पहुंचाई, बल्कि डिक्रीलाल के घर से निकल जाने के बाद, और तीन व्यक्तियों द्वारा कुछ दूरी तक पीछा किए जाने के पश्चात, डिक्रीलाल के आत्मसमर्पण कर देने पर, विजय द्वारा उसे चोटें पहुंचाई गईं। अतः यह चोटें आत्मरक्षा के अधिकार के दायरे में नहीं आतीं। जब डिक्रीलाल अपीलकर्ता विजय के घर से भाग गया था, उस क्षण निजी प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो गया था और अपीलकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद, चारों अभियुक्त — विजय, जनक, मंग्लू एवं पुच्छू उर्फ मकरध्वज — ने डिक्रीलाल का पीछा किया, उसके साथ मारपीट की तथा उत्तेजना की दशा में उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं। यद्यपि चोटें गंभीर थीं, किन्तु वे किसी जीवन-नाजुक महत्त्वपूर्ण अंग पर नहीं थीं एवं ऐसी नहीं थीं जिनसे यह निष्कर्ष निकले कि उन्होंने डिक्रीलाल को मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से प्रहार किया हो। चोट पहुंचाने के बाद वे उसे वहीं छोड़कर पुलिस थाना चले गए। डिक्रीलाल की मृत्यु कुछ घंटों बाद हुई, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा मृत्यु कारित करने का प्रत्यक्ष इरादा नहीं था; तथापि दिसंबर की ठंड में ऐसे वातावरण में चोट पहुंचाकर उसे खुले स्थान पर छोड़ देना यह दर्शाता है कि वे यह जानते थे कि उनके इस कृत्य से डिक्रीलाल की मृत्यु होने की प्रबल संभावना थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23.उपर्युक्त कारणों के आधार पर, विजय, जनक, मंग्लू तथा पुच्छू उर्फ मकरध्वज पर स्थापित दोषसिद्धि एवं दंड, विधि की दृष्टि से स्थिर रखने योग्य नहीं प्रतीत होते। संपूर्ण साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के उपरांत यह निष्कर्ष सामने आता है कि अपीलकर्ता विजय, अपने सह–

अपिलार्थियों — जनक, मंग्लू एवं पुच्छू उर्फ मकरध्वज — के साथ सामान्य उद्देश्य के अन्वेषण में, हत्या की श्रेणी में न आने वाला दाण्डिक मानव वध कारित करने का दोषी है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह प्रतित होता है कि अपीलकर्ता विजय द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया गया है तथा अपीलकर्ता जनक, मंग्लू एवं पुच्छू उर्फ़ मकरध्वज ने 304 भाग-II सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराध करित किया गया है।

24. फलस्वरूप, दाण्डिक अपील सं. 912/2003, 973/2003 तथा 825/2004 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं और निम्न आदेश पारित किया जाता है—

1) दाण्डिक अपील सं. 912/2003 के अपीलकर्ता मोहित, हरि उरांव एवं बुन्दकुंवर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 149 तथा धारा 147/148 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। चूँकि वे वर्तमान में जमानत पर हैं, अतः उन्हें अपने जमानत बंधपत्रों के अनुसरण में आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी प्रकार का जुर्माना जमा किया गया है, तो उसे अपीलकर्ताओं को वापस किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2) अपीलकर्ता विजय, जनक, मंग्लू एवं पुच्छू @ मकरध्वज की धारा 147/148 भ.द.स.के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दंडादेश को निरस्त किया जाता है तथा उन्हें उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

3) अपीलकर्ता विजय की धारा 302 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत दोषसिद्धि को परिवर्तित करते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों एवं उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरांत, उसकी दिनांक 10.12.2002 से अब तक की अवधि अर्थात् लगभग 7 वर्ष 4 माह की अभिरक्षा बिताई हुई अवधि के रूप में पर्याप्त दंड मानते हुए आदेशित किया

जाता है कि यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

4) अपीलकर्ता जनक, मंग्लू एवं पुच्छू @ मकरध्वज की धारा 302 सहपठित धारा 149 के के अंतर्गत दोषसिद्धि को परिवर्तित करते हुए उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है। यह अभिलक्षित है कि यद्यपि इन अपीलकर्ताओं का सामान्य उद्देश्य था, तथापि उन्होंने वास्तविक रूप से डिक्रीलाल पर प्रहार नहीं किया था। अतः उन्हें पाँच वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश प्रदान किया जाता है। वे वर्तमान में जमानत पर होने से, निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी शेष सजा का न्यायलयीन निर्वाहन करने हेतु अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), रायगढ़ के न्यायालय में सत्र प्रकरण सं. 26/2003 में तत्काल आत्मसमर्पण करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित
(आर.एल.झंवर)
न्यायाधीश

हस्ताक्षरित
(टी.पी.शर्मा)
न्यायाधीश

---00---

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुप्रकरण पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|

TRANSLATED BY RAKSHITA MISHRA